



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1939 (श10)
(सं० पटना 133) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2018

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी 2018

सं० बी1-3-18/2018-06— 9-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2018 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 100/पूर्व. अनु.-1/बिहार-लो.स./1/2017 दिनांक 13.02.2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार टाकुर,

अपर सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 13 फरवरी, 2018/24 माघ, 1939(शक)
 सं० 100/पूर्व.अनु.-1/बिहार-लो.स/1/2017 - यतः लोक सभा में बिहार राज्य के 9-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री तसलीम उद्दीन का स्थान उनके निधन हो जाने के कारण दिनांक 17 सितम्बर, 2017 से रिक्त हो गया है; और
 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

- (अ) बिहार राज्य से उक्त 9-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 16 मार्च, 2018 (शुक्रवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-
- | | | |
|--|---|---------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख | : | 20 फरवरी, 2018 (मंगलवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | : | 21 फरवरी, 2018 (बुधवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | : | 23 फरवरी, 2018 (शुक्रवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | : | 11 मार्च, 2018 (रविवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | : | 16 मार्च, 2018 (शुक्रवार) |
- नियत करता है; और
- (इ) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
 सुमित मुखर्जी,
 प्रधान सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. Dated 13th February, 2018/Magha, 1939 (Saka)

No. 100/ES-1/BR-HP/1/2017— WHEREAS, the seat of **Sh. Tasleem Uddin**, in the House of the People elected from **9-Araria** Parliamentary Constituency in the State of Bihar, has become vacant on **17th September, 2017** by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 149 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the said **9-Araria** Parliamentary Constituency in the State of Bihar, to elect, before the **16th March, 2018** (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the said House of the People.
- (B) appoints, with respect to the said election:-
- the **20th February, 2018** (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - the **21st February, 2018** (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - the **23rd February, 2018** (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the **11th March, 2018** (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the **16th March, 2018** (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

- (C) fixes the hours from 07:00 A.M to 05:00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
SUMIT MUKHERJEE,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 133-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>